

# गया जिला गजट



## बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित असाधारण अंक

भाग सं०... 252 ...../रा०, गया दिनांक— 24.11.2020  
समाहर्ता द्वारा निकाले गये भू-अर्जन संबंधी अधिसूचनाएँ एवं अन्य  
स्थानीय सूचनाएँ

### प्रपत्र VI

(बिहार सरकार)

समाहर्ता-सह-समुचित सरकार  
प्रारंभिक अधिसूचना

(अधिनियम 30/2013 की धारा-11(1) के अधीन)

चूँकि समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि ग्राम रसलपुर, थाना मानपुर (मफस्सिल) थाना नं० 288 अंचल मानपुर जिला गया में कुल 1.3659 एकड़ यानि 0.05528 हे० भूमि सार्वजनिक प्रयोजन यथा परियोजना भारतीय रेल लाईन बाईपास निर्माण योजना हेतु बंधुआ से पैमार स्टेशन तक अपेक्षित है, इसलिए राज्य एस०आई०ए० ईकाई द्वारा सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन कराया गया और एक प्रतिवेदन सौंपा गया। सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन का सार-संक्षेप यथा निम्न है- भू-अर्जन लोक उद्देश्य के लिए किया जा रहा है तथा परियोजना से होने वाले लाभ सामाजिक लागत के सापेक्ष ज्यादा है। भू-अर्जन के कारण कुल शून्य परिवारों के विस्थापित होने की संभावना है। इस बाध्यकारी विस्थापन का कारण नीचे दिया गया है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्ता, प्रशासक के रूप में नियुक्त किये गये हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम रसलपुर, थाना मानपुर (मुफस्सिल) थाना नं० 288 अंचल मानपुर जिला गया के उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश 1.3659 एकड़ यानि 0.5528 हे० मानक माप का भूखण्ड जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है-

क्र० सं०	खाता सं०	भूखण्ड सं०	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अधिग्रहित होने वाले रकवा (ए०) में	हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पिजा/पति का नाम	चौहद्दी
1	123	400	रैयती	धनहर	0.116	राजेश्वर सिंह पिता ब्रह्मदेव सिंह वो गुलाब सिंह पिता वृजनन्दन सिंह	उत्तर- DFCCIL द्वारा अधिग्रहित जमीन मौजा-लखनपुर, प्लॉट नं० 1689, 1688 दक्षिण-पूर्व मध्य रेलवे द्वादा अधिग्रहित जमीन मौजा-रसलपुर, प्लॉट नं०
2	28	401	रैयती	धनहर	0.119	चन्द्र सिंह पिता नथुनी सिंह	
3	184	411	सरकारी	गली	0.0154	अनावाद सर्वसाधारण	
4	38	412	रैयती	धनहर	0.1535	जगदीश सिंह वो प्रदीप सिंह वो श्लोक सिंह वो विलास सिंह पिता भरत सिंह	
5	179	446	रैयती	धनहर	0.0289	हरनन्दन सिंह वो रामनन्दन सिंह पिता परीखन सिंह	
6	184	447	सरकारी	गली	0.0044	अनावाद सर्व साधारण	



7	178	448	रैयती	मकान सहन	0.0682	हरिद्वार सिंह पिता सिद्धेश्वर सिंह वो बलम सिंह पिता मुखी सिंह	761, 762,763,764,1 034
8	144	449	रैयती	आहर	0.0134	लक्ष्मी सिंह पिता धनगोपी सिंह वो शिवबचन सिंह पिता सकल सिंह	पूरब- मौजा-रसलपुर , प्लॉट नं०
9	63	541	रैयती	खण्ड	0.0104	नागेश्वर सिंह पिता झमन सिंह वो मथुरा सिंह पिता लोचन सिंह वो नौरंगी सिंह पिता लाली सिंह	400, 401, 411, 412, 446, 447, 448, 451, 452, 438, 466, 456, 491, 454, 478, 477, 481, 479, 482, 755, 758, 754, 760, 746
10	38	452	रैयती	खण्ड	0.0183	जगदीश सिंह वो प्रदीप सिंह वो श्लोक सिंह वो विलास सिंह पिता भरत सिंह	पश्चिम-मौजा - रसलपुर, में DFCCIL द्वारा अधिग्रहित भूमि
11	149	453	रैयती	मकान	0.0373	शीतल सिंह पिता तिलक सिंह	
12	118	438	रैयती	मकान	0.0240	मथुरा सिंह पिता लोचन सिंह वो नौरंगी सिंह पिता लालजी सिंह वो नागेश्वर सिंह वो सुरेश सिंह पिता झमन सिंह वो दरोगा सिंह पिता रामचरितर सिंह	
13	184	466	सरकारी	गली	0.0160	अनावद सर्वसाधारण	
14	11	456	रैयती	भीठ	0.0261	अरुण कुमार सिंह पिता रामविलास सिंह	
15	184	591	सरकारी	रास्ता	0.0103	अनावद सर्वसाधारण	
16	38	454	रैयती	मकान	0.0524	जगदीश सिंह वो प्रदीप सिंह वो श्लोक सिंह वो विलास सिंह पिता भरत सिंह	
17	58	478	रैयती	मकान	0.0826	देवन साव पिता श्री साव	
18	58	477	रैयती	मकान	0.0145	देवन साव पिता श्री साव	
19	160	480	रैयती	मकान	0.0138	सुकी चमइन पिता लालजी चमार	
20	103	481	रैयती	खण्ड	0.0551	बसंत चमार पिता केशर चमार	
21	6	479	रैयती	खण्ड	0.0161	अमिका सिंह पिता रामा सिंह	
22	117	482	रैयती	खण्ड	0.0276	मथुरा सिंह वो यमुना सिंह वो भोला सिंह वो बाबूराम सिंह पिता विशेसर सिंह वो विनेसर पिता जगमोहन सिंह	
23	115	755	रैयती	भीठ	0.2273	मथुरा सिंह वो यमुना सिंह वो बाबूराम सिंह वो भोला सिंह पिता विसेसर सिंह	



24	46	758	रैयती	परती	0.01	जिमेदार सिंह पिता तुलसी सिंह वो किशोर सिंह पिता कंदार सिंह वो राम जतन सिंह, रामलगन सिंह वो रामलखन पिता भजन सिंह
25	129	754	रैयती	धनहर	0.0981	रामविलास सिंह वो बलेसर सिंह वो अवधेश सिंह वो कमलेश सिंह पिता अकल सिंह
26	183	760	सरकारी	धनहर	0.0722	बिहार सरकार
27	184	746	सरकारी	पोखर	0.035	अनावारद सर्वसाधारण
<b>कुल योग:-</b>					<b>1.3659(ए०)</b>	

यह अधिसूचना भू-अर्जन, पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकार एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (अधिनियम सं० 30/2013) की धारा-11(1) के उपबन्धों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।


भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, गया के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यवधि में किया जा सकेगा। समाहर्ता-सह-समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं यथा विनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्टि करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अबभूमि खोदने या भू-बेधन, छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, गया और उनके कर्मचारी को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्ता, के पूर्व अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथित से प्रारम्भिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण नहीं करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से साठ (60) दिनों के अंतर्गत भू-अर्जन की बावत किसी प्रकार की आपत्तियाँ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, गया के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

ED-  
समाहर्ता,-सह-समुचित सरकार  
गया।

ज्ञापांक-.....637.....दिनांक-.....24/11/2020.....

- प्रतिलिपि:- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (NIC) गया को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि जिला गजट की प्रति को समाहरणालय, गया के वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से अवलोकनार्थ अपलोड करने की कृपा की जाय।
- प्रतिलिपि:- प्रखंड विकास पदाधिकारी, /अंचल अधिकारी, मानपुर को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि जिला गजट की प्रति को संबंधित मौजे के ग्राम पंचायत एवं प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय के सूचना पट पर लगाने का कष्ट करें।
- प्रतिलिपि:- जिला अवर निबंधक, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
 जिला भू-अर्जन पदाधिकारी,  
 गया।